संख्या: 1540 /XVII(4)/2019-5(59)/19

प्रेषक,

**सौजन्या,**
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

**निदेशक,**
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

**महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग,** देहरादूनः दिनांक 10 दिसम्बर, 2019

**विषयः– आंगनबाड़ी केन्द्रों में 03 से 06 वर्ष के बच्चों को "बाल पालाश" के अन्तर्गत अतिरिक्त पोषाहार के रूप में सप्ताह में दो दिन अण्डा व दो दिन केला उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के समस्त आंगनबाड़ी केन्द्रों में "बाल पालाश" योजना के अन्तर्गत 03 से 06 वर्ष के बच्चों को अतिरिक्त पोषाहार के रूप में सप्ताह में दो दिन अण्डा व दो दिन केला उपलब्ध कराये जाने हेतु दिशानिर्देश निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– "बाल पालाश" योजना के अन्तर्गत राज्य में बच्चों के वजन एवं पोषण में सुधार शारीरिक विकास व स्कूल पूर्व बच्चों की आंगनबाड़ी केन्द्र पर प्रवेश को उत्साहित कराने के लिये बच्चों को सप्ताह में दो दिन अण्डा (बुधवार एवं शनिवार) एवं दो दिन केला (सोमवार एवं मंगलवार) उपलब्ध कराया जायेगा। अण्डा न खाने वाले लाभार्थियों को अण्डे के स्थान पर केला उपलब्ध करवाया जाएगा। यदि अपरिहार्य परिस्थितियों में क्षेत्र में केला उपलब्ध नही है, तो केले के स्थान पर स्थानीय मौसमी फल जिसकी दर ₹ 5/– से ज्यादा न हो, बच्चों को खिलाया जायेगा।

3– आंगनबाड़ी केन्द्रों पर गठित माता समिति द्वारा यह सामग्री (अण्डा व केला) महिला स्वयं सहायता समूहो या अन्य उपलब्ध स्रोत के माध्यम से क्रय किया जाएगा, जिसमें खाद्य सामग्री की पौष्टिकता एवं गुणवत्ता का विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा। अण्डे को भली–भांति उबाल कर बच्चों को साफ बर्तन में परोसकर खिलाया जाएगा। खिलाते समय व्यक्तिगत स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा।

4– उक्त योजना के अन्तर्गत निदेशक, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा जनपद स्तरीय समिति का गठन किया जायेगा तथा उक्त कमेटी द्वारा समय–समय पर बच्चों को केन्द्र में वितरित अण्डा व केला की पौष्टिकता, सुपरविजन एवं अनुश्रवण किया जायेगा, जिसके लिये वह पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

5– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय अनुदान संख्या–15 के लेखाशीर्षक–2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण–02–समाज कल्याण–102–बाल कल्याण–16–मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना–00– मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना (रा0यो0) के मानक मद–42–अन्य व्यय से वहन किया जायेगा।

भवदीया,

(सौजन्या)
सचिव

RSletter 2018-19

संख्या– (1)/XVII/2019-5(59)/19 तद्दिनांकित

**प्रतिलिपिः**–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4. निजी सचिव, सचिव/अपर सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को सचिव/अपर सचिव महोदया के संज्ञानार्थ।
5. महालेखाकार, उत्तराखण्ड महालेखाकार भवन, कोलागढ़ रोड़, देहरादून।
6. मण्डलायुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमायू मण्डल, नैनीताल।
7. समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड।
9. एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

**आज्ञा से,**

(झरना कमठान)
अपर सचिव।